12

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर दिनांक 30.12.88 एवं 5.1.89 को हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1988 की षष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी		अध्यक्ष
2-	श्री शंकर अग्रवाल	संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग, (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
3-	श्री एस0सी0 दीक्षित	संयुक्त सचिव, वित्त सचिव, (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
4-	श्री जे0पी0 भार्गव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5-	श्री ए0के0 मिश्र	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
6-	श्रीमती उमा त्रिपाठी	एम0एल0ए0	सदस्य
7-	श्री हरजिन्दर सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
8-	श्री के0पी0 सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दि0 8.12.88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	षष्ठम्/1(1)/88	दि0 8.12.88 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दि0 18.12.88 की अनुपालन आख्या।	षष्ठम्/2(1)/88	परिषद द्वारा दि0 8.12.88 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन से परिषद को अवगत कराया गया।
3-	गुण नियंत्रण मैनुअल की स्वीकृति के संबंध में।	षष्ठम्/3(1)/88	परिषद द्वारा उपसमिति की संस्तुतियों के अनुसार मैनुअल में संशोधन करते हुए इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। यह भी निर्णय लिया गया कि गुण नियंत्रण मैनुअल भाग-II तैयार करने हेतु जो समिति गठित की गयी थी उसमें जल-सम्पूर्ति तथा विद्युत से संबंधित विशेषज्ञों को भी समिति में सम्मिलित करने जिसके लिए आवास आयुक्त अपने स्तर से उचित आदेश जारी कर दें समिति अपनी रिपोर्ट 3 माह के अन्दर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। गुण नियंत्रण मैनुअल के भाग-II लागू करने के लिये आवास आयुक्त अपने स्तर से सभी खंडों तथा अधिकारियों को उचित आदेश जारी कर दें।
4-	परिषद में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के मृत्यु होने पर उसे अवकाश के लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि का नकद भुगतान।	षष्ठम्/4(1)/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
5-	परिषद के अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने पर परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत उसे आवंटित भवन/भूखंड के विरुद्ध देय धनराशि माफ किये जाने के संबंध में।	षष्ठम्/5(1)/88	अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।

1	2	3	4
6-	परिषद द्वारा एच०डी०एफ०सी० से रू० 3 करोड़ का ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त किया जाना ।	षष्टम/(6)/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
7-	परिषद योजनाओं में आवासीय भवनों कार्यालय प्रयोग हेतु अस्थायी भू-प्रयोग परिवर्तन के संबंध में ।	षष्टम(7)/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि इस मामले पर लीगल दृष्टिकोण से परीक्षण कर लिया जाए।
8-	परिषद के निर्माण संबंधी कार्यों को समय से पूरा कराने तथा अर्जित भूमि के लिए प्रतिकर का तत्काल भुगतान करने हेतु बैंक आफ इण्डिया से रू० 2 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट प्राप्त किया जाना	षष्टम(8)/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
9-	बिल्डिंग सेन्टर्स के रजिस्ट्रेशन हेतु तैयार किये गये मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन तथा बाईलाज आफ दि एसोसिएशन के प्रारूप का अनुमोदन ।	षष्टम(9)/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
10-	परिषद कार्यहित में ऋणों व ब्याज आदि के भुगतान एवं धनराशि हस्तान्तरण/विनियोजन की स्वीकृति प्रदान करने व रू० 25,000/- अधिक की चेकों आदि पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी प्रथम को भी अधिकृत करने के संबंध में वित्तीय अधिकारियों का प्रतिनिधायन ।	षष्टम(10)/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
11-	परिषद द्वारा अधिग्रहीत की जा रही योजनाओं में भूमि विस्थापितों के उनके परिवार में आश्रित उनकी योग्यतानुसार नौकरी दिये जाने के संबंध में ।	षष्टम(11)/88	स्थगित कर दिया गया।
12-	सम्पत्तियों के आवंटन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम ।	षष्टम(12)/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
13-	राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाना।	षष्टम(13)/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि सभी वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जिस दर पर सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए जो दरें निर्धारित हैं, उसके अनुसार अनुमन्य होगी। यदि कर्मचारी द्वारा प्राईवेट अस्पताल में इलाज कराया जाता है तो उस नर्सिंग होम में कम से कम 25 शैय्या उपलब्ध होनी चाहिए लेकिन इसकी पूर्व अनुमति आवास आयुक्त से लेनी अनिवार्य होगा।
14-	परिषद योजना में भूमि अर्जन योजना सं0-3 गाजियाबाद (महाउद्दीनपुर कनावनी एवं साहिबाबाद) हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में ।	षष्टम(14)/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	परिषद योजना में भूमि अर्जन सं0-3, गाजियाबाद (ग्राम - अरथला) हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के संबंध में ।	षष्टम/(15)/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
16-			

...3/

1	2	3	4
16-	परिषद की भूमि अर्जन योजना इन्दिरानगर विस्तार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ हेतु हडको से रू0 1247.46 लाख ऋण प्राप्त करने के संबंध में।	षष्टम्/(16)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
17-	द्वितीय हडको एम0आई0जी0 परियोजना योजना सं0-10 मेरठ स्कीम नं0-6153 में स्वीकृत ऋण रू0 94 लाख की शर्तों के संबंधमें ।	षष्टम(17)/88	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
18-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को किराया पद्धति पर भवन आवंटन करने के संबंध में।	षष्टम/(18)/88	स्थगित कर दिया गया।
19-	हडको से आपरेशनल फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा रू0 500 लाख का ऋण प्राप्त करने के संबंध में ।	षष्टम/(19)/88	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी ।
20-	परिषद मुख्यालय पर निर्माण हेतु भवन का पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	षष्टम/(20)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25.2.80 में लिए गये निर्णय के अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
21-	गोण्डा गिर्द योजना गोण्डा के द्वितीय चरण के विकास कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।	षष्टम/(21)/88	परिषद की वर्ष 1980 की प्रथम बैठक दि0 25.2.80 में लिये गयेनिर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
22-	इलाहाबाद में मध्यम आय वर्ग, फैजाबाद में मध्यम आय वर्ग, लखनऊ, मेरठ, आगरा, बुलन्दशहर, फैजाबाद, फतेहपुर में स्वयं वित्त पोषित कानपुर में दु0आ0व0, म0आ0व0, उ0आ0व0, रायबरेली में दुकानें, लखनऊ में अ0आ0व0 मेरठ में दु0आ0व0 एवं अ0आ0व0 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	षष्टम/(22)/88	परिषद की वर्ष-1980 की प्रथम बैठक दि0 25.2.80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामलेमें अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
23-	आगरा में दुर्बल आय वर्ग, बलिया में मध्यम आयवर्ग, अल्प आय वर्ग, गोरखपुर में मध्यम आय वर्ग, मेरठ में बदायूं में दुकानें, फतेहपुर में मध्यम आय वर्ग, कानपुर में उच्च आय वर्ग, पीलीभीत में अल्प आय वर्ग, इलाहाबाद में अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में ।	षष्टम/(23)/88	परिषद ने वर्ष 1980 में प्रथम बैठक दि0 25.2.80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।
24-	मेरठ में 740 दुर्बल आय वर्ग, इलाहाबाद में 45 दुर्बल आय वर्ग, पीलीभीत में 40 दुर्बल आय वर्ग, जौनपुर में 6 दुकानों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	षष्टम/(24)/88	परिषद ने वर्ष 1980 में प्रथम बैठक दि0 25.2.80 में लिये गये निर्णय अनुसार इस मामले में अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त द्वारा निर्णय ले लिया गया है जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
25-	विशेष भत्ता के स्थान पर शोध भत्ता स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	षष्टम/(25)/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।

...4/

1	2	3	4
26-	हरिजनोंकी भूमि अधिग्रहण से मुक्त किये जाने हेतु।	षष्टम्/126/88	हरिजनों की भूमि अधिग्रहण करने से मुक्त किये जाने वाले प्रस्ताव पर सिद्धान्त तौर पर सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु विस्तारपूर्वक निर्देश जारी करने के बारे में प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
27-	आशुलिपिकों के सेलेक्शनग्रेड के संबंध में ।	षष्टम्/27/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
28-	वास्तुविद सहायक से सहायक वास्तुविद नियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु कोटे का प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में ।	षष्टम्/28/88	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
29-	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से 2 करोड़ का टर्म ऋण लिये जाने के संबंध में ।	षष्टम्/29/88	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ।
30-	शासनादेशानुसार आरक्षित वर्ग कोटा पूरा करने के संबंध में ।	षष्टम/30/88	विचार-विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में निम्न सदस्यों की एक समिति गठित कर दी जाए जो सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें:- 1- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव । 2- विधि परामर्शदाता। 3- उप आवास आयुक्त । रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय यदि कोई कर्मचारी कोटा पूरा न करने के बारे में दोषी पाया जाए तो उसके बारे में संस्तुति दी जाए तथा इस बारे में भी संस्तुति दी जाए कि कोटा पूरा करने के लिये परिषद द्वारा और क्या प्रयास किये जाए ।
31-	आठवीं पंचवर्षीययोजना के लिए परस्पेक्टिव प्लान तैयार करना ।	षष्टम/31/88	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचार-विमर्श करने के उपरान्तजो परस्पेक्टिव प्लान तैयार किया गया है उसका अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया कि इसबारे में शासन को शीघ्र अवगत करा दिया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी समय लेकर उन्हें इस बारे में जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। आठवीं पांच वर्षीय योजना के लिए शासन स्तर पर जो कुल लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनमें से आवास परिषद के लक्ष्य ज्ञात कर तदनुसार परस्पेक्टिव प्लान में भी संशोधन कर लिया जाए।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष